

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-२००६ के अंतर्गत सर्वश्री शेखर पॉली ट्यूब्स प्रा० लि०, औद्योगिक विकास केन्द्र, गिद्धा, आरा को ₹९,४९,८४३/- (नौ लाख उनचास हजार आठ सौ तैंतालिस रूपए मात्र) के अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रो० नीति, २००६ के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति के द्वारा दिनांक-२७.०९.२०१६ की बैठक में लिए गए निर्णय तदनुसार बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-३८४२ दिनांक-२१.१०.१६ के आलोक में सर्वश्री शेखर पॉली ट्यूब्स प्रा० लि०, औद्योगिक विकास केन्द्र, गिद्धा, आरा को ₹९,४९,८४३/- (नौ लाख उनचास हजार आठ सौ तैंतालिस रूपए मात्र) पूँजीगत अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

(i) ईकाई न्यूनतम ५ वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि ५ वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य के बंद होती है तो भुगतान की गई राशि सूद समेत ईकाई से वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों/ प्रमाण-पत्रों/ अभिलेखों के भविष्य में गलत पाए जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी।

२. उक्त राशि का व्यय वहन उद्योग विभागीय राज्यादेश संख्या-२४९२, दिनांक-११.०७.२०१६ एवं आवंटनादेश संख्या-४१/आ० दिनांक-१९.०७.२०१६ के आलोक में मांग संख्या-२३ के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-२८५२-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-८०-सामान्य, लघु शीर्ष-१०२-औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष-०१६०-प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड-P२८५२८०१०२०१६० राज्य योजना स्कीम कोड-IND-५४३२ विषय शीर्ष ३३ ०१ सब्सिडी मद में आवंटित राशि से की जाएगी।

३. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

४. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

५. इस राशि की निकासी "पूर्व प्राप्ति रसीद" पर कोषागार फार्म संख्या २५ पर की जाएगी।

क०प०३०

6. इस राशि का भुगतान सर्वश्री शेखर पॉली ट्यूब्स प्रा० लि०, औद्योगिक विकास केन्द्र, गिद्धा, आरा को RTGS/NEFT के माध्यम से की जाएगी।

ह०/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक.....

ह०/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-3873

पटना, दिनांक 25/10/16

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना/ कार्यकारी निदेशक, बियाडा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-01 (सरकार)/ आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ सर्वश्री शेखर पॉली ट्यूब्स प्रा० लि०, औद्योगिक विकास केन्द्र, गिद्धा, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना